तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन पत्र संख्या 1417/2015 अनवान हेमाराम बनाम केवीदेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र, नांद पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 09.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र, नांद पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	
09.05.2018	पत्रावली अटल सेवा केन्द्र, नांद पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 156 ग्राम जाणियावास पटवार मण्डल नांद में सुखाचार हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 357/261, 373/259 व 361/265 में से नया रास्ता खोलने एवं राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाड़मेर से मौका प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार, बाड़मेर ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि प्रार्थी का रास्ते हेतु आवेदित भूमि में से आवागमन होना मौके पर नही पाया गया। प्रार्थी खसरा नं. 155, 303/154 एवं 262 के सेढे होते हुए खसरा नं. 262 व ग्राम सीमा के पास से आवागमन करता है और मौके पर कच्चा रास्ता मौजूद है जो ग्रेवल सड़क से जाकर जुड़ता है। इस प्रकार प्रार्थी का अप्रार्थीगण की आवेदित भूमि में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग उचित प्रतीत नही होती है। प्रार्थी को मौके के अनुसार आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवेदित भूमि में से रास्ता सुखाचार हेतु दिये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः तहसीलदार, बाड़मेर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निराधार होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	

Scanned by CamScanner